

सरस्वती महिला महाविद्यालय

विजय नगर, कानपुर नगर

विषय— एन्टी रैगिंग के विषय में सरस्वती महिला महाविद्यालय की रिपोर्ट

सरस्वती महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये रैगिंग की रोकथाम के लिये सजग है महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति गठित की गई है जिसमें एक अध्यक्ष दो कोआर्डिनेटर एवं पाँच सदस्य हैं जो अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं महाविद्यालय में प्रवेश के समय जहाँ छात्राओं एवं अभिभावकों से एन्टी रैगिंग शपथ पत्र भरवाया जाता है जिससे रैगिंग होने की बीमारी को रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके महाविद्यालय परिसर में जगह-जगह यथा-स्थानों पर **cctv** कैमरे भी लगायें गये हैं जिससे रैगिंग होने की सम्भावनाओं को भौपकर या होने की दशा पर दोषी को चिन्हित कर तुरन्त दण्ड दिया जा सके साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं का डेटाबेस भी तैयार कराया जाता है ताकि रैगिंग की स्थिति अथवा शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही स्थिति में रिकार्ड के रूप में कार्य कर सके एवं छात्राओं की पृष्ठभूमि को पहचाना जा सके इसके आलावा महाविद्यालय के मुख्य

द्वार के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एन्टी रैगिंग नियमावली का नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है।

आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बर **1800180-5522** भी महाविद्यालय परिसर में फ्लैक्स बोर्डों के माध्यम से छात्राओं को अवगत कराया गया है साथ ही कालेज प्रशासन ने अपना भी एक फोन नम्बर **05122234528** भी जारी किया है जिससे रैगिंग होने की दशा में त्वरित कार्यवाही की जा सके। कालेज प्रशासन एवं समिति अध्यक्ष रैगिंग की शिकायत आने पर तय करते हैं कि अमुक कृत्य रैगिंग की श्रेणी में आता है कि नहीं तत्पश्चात् पुष्टि होने पर कोआर्डिनेटर सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज करता है एवं क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, एवं अन्य स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभागिता एवं छात्रवृत्ति रोकना, छात्राओं के निष्कासन जैसे अन्य दण्ड

का भी प्रावधान है। महाविद्यालय परिसर में फ्लैक्स बोर्डों एवं अन्य साधनों के माध्यम से छात्राओं को जागरूक तो किया ही जाता है साथ ही महाविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं के लिये हेल्पलाइन E Mail भी जारी की है जो कि कमशः **helpline@saraswatimahila.org** एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी **helpline@antiragging.in** है यदि छात्रायें चाहे तो अपनी शिकायत ई मेल के माध्यम से दर्ज करा सकती है यद्यपि पिछले चार वर्षों से महाविद्यालय में रेगिंग की कोई शिकायत नहीं आई है।

महाविद्यालय परिवार अपने वार्षिक कार्यक्रमों में एन्टी रेगिंग से सम्बन्धित एक लघु नाटक का मंचन भी करता है जिससे छात्राओं को जागरूक किया जा सके जिससे रेगिंग को रोका जा सके।

सरस्वती महिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तरपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्यों का अनुपालन करते हुये छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है, वास्तव में छात्राओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब उन्हें उचित वातावरण प्रदान किया जायेगा। सरस्वती महिला महाविद्यालय छात्राओं को उचित वातावरण प्रदान कर सफलता की ओर प्रयासरत है।